पत्र सं0/ /जी0एस0टी0 ऑडिट/2021–22/2223007/504 /राज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 ऑडिट)

लखनऊ:: दिनांक 27 अप्रैल, 2022

समस्त एडीशनल कमिश्नर,
राज्यकर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– पंजीयन वेरीफिकेशन के सम्बन्ध में।

विभागीय वैट एम0आई0एस0 पर उपलब्ध न्यू रजिस्टर डीलर वेरीफिकेशन रिर्पोट की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.03.2022 तक जारी पंजीयन के पेन्डिग वेरीफिकेशन के मामलें काफी संख्या में प्रत्येक जोन में पेन्डिग है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.11.2018 से दिनांक 31.03.2022 तक जारी पंजीयन में भी पेन्डिग वेरीफिकेशन के बहुत अधिक मामलें प्रदर्शित हो रहे है (एम0आई0एस0 रिपोर्ट की प्रति संलग्न) । यह स्थिति अत्यन्त आपत्ति जनक है क्योंकि पंजीयन वेरीफिकेशन समय से नहीं होने की स्थिति में बोगस फर्मो द्वारा राजस्व क्षति करने की स्थिति उत्पन्न होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जोन में पेन्डिग पंजीयन वेरीफिकेशन के मामलों को ध्यान में रखते हुये पंजीयन वेरीफिकेशन का कार्य शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त मामलों की नियमित समीक्षा करते हुये पाक्षिक रुप से मुख्यालय को सूचित करें। मुख्यालय स्तर पर भी पंजीयन वेरीफिकेशन के पेन्डिग मामलों की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

27/4/2022
(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner